भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3203
बुधवार, 29 मार्च, 2023 (8 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

बेलगावि के लिए योजनाएं

3203 श्री ईरण्ण कडाडी:

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारिता के क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/उपयोग की गई निधियों/कार्यों का ब्यौरा क्या है और कर्नाटक में मंत्रालय द्वारा पंजीकृत संस्थानों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कर्नाटक के आकांक्षी जिलों में कोई विशेष योजना/परियोजना लागू की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहकारिता के क्षेत्र में कर्नाटक के बेलगावि निर्वाचन क्षेत्र में कोई नई योजना लागू/ प्रस्तावित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए कोई अलग योजना प्रस्तावित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): कर्नाटक राज्य सहित देश भर में विभिन्न सेक्टरों में सहकारी परितंत्र को सशक्त और प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न पहलें की है जैसे:

1. <u>पैक्स के कंप्यूटरीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना:</u> 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है ।

2. <u>पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां:</u> पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसी 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करने के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए परिचालित किया गया ।

3. कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स: पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार, गांव स्तर पर ई-सेवा प्रदान करने व रोज़गार सृजन के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी-एसपीवी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया ।

4. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों की मदद के लिए देश की सहकारी समितियों के प्रमाणिक और अद्यतित डाटा भंडार हेतु एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस आरंभ किया गया है ।

5. प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समिति की स्थापना: सरकार द्वारा विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर आगामी पांच वर्षों में 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना अनुमोदित की गई है ।

6. राष्ट्रीय सहकारी नीति: सक्षम परितंत्र सृजित करके 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को शामिल करके एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है ।

7. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन: सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने, बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने व निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रशासित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने हेतु संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया ।

8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मात्स्यिकी के लिए 'नील सहकार' आरंभ की गई है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनसीडीसी ने 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया ।

9. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान: गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके ।

10. जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल: जेम पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता के साथ वे लगभग 40 लाख विक्रेताओं से माल व सेवा की खरीद कर सकेंगे ।

11. सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

12. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है ।

13. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए नकद लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है ।

14. नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर को कम करना: केन्द्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगाने की घोषणा की गई है ।

15. पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी: केन्द्रीय बजट 2023-24 में पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य करने की घोषणा की गई है ।

16. स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: केन्द्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है ।

17. सहकारी चीनी मिलों को राहत: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

18. चीनी सहकारी मिलों के पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान: केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी ।

19. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगा ।

20. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी जैविक समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन करेगा ।

21. <u>राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति:</u> बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को गति प्रदान करेगा ।

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत बेलगावी और आकांक्षी जिले सहित कर्नाटक के सभी जिलों के लिए 5,491 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी की पहली किश्त के रूप में कर्नाटक राज्य को 25.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा दिनांक 20.03.2023 तक कर्नाटक राज्य को ऋण व सब्सिडी के रूप में 3247.19 करोड़ रुपए की संचयी राशि भी संवितरित की गई है ।

सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में सीमित होते हैं, वे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के अधीन शासित होते हैं । वर्तमान में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन 30 बहुराज्य सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जिनका मुख्यालय कर्नाटक राज्य में स्थित है ।

नाबार्ड और एनसीडीसी द्वारा कर्नाटक के आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/ परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है ।

नाबार्ड और एनसीडीसी द्वारा कर्नाटक के बेलगावी जिले में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध- II** पर संलग्न है ।

******

अनुबंध-I

नाबार्ड द्वारा कर्नाटक के आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	इंटरवेंशन/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान 31 दिसम्बर, 2022 तक	
		यादगीर	**रायचुर**
1.	वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता शिविर	174	232
2.	सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम	1	1
3.	संयुक्त देनदारी समूहों (JLGs) का संवर्धन कार्यक्रम	1	2

कर्नाटक का रायचूर जिला (आकांक्षी जिला) में **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)** द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(राशि लाख रुपए)

क्रम सं.	**समिति/लाभार्थी का नाम**	**परियोजना का नाम**	**योजना**	**कुल स्वीकृत राशि (ऋण व सब्सिडी)**
1	दी रायचूर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.	6 अतिरिक्त स्वचालित जिनिंग व प्रेसिंग इकाई की स्थापना	केन्द्रीय क्षेत्रक योजना	76.1
			निगम प्रायोजित योजना	23.0
2	दी रायचूर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.	कार्यशील पूंजी	निगम प्रायोजित योजना	159.5
3	दी रायचूर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.	गोदाम का निर्माण	केन्द्रीय क्षेत्रक योजना-ISAM (AMI)	124.9
4	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, कैम्पस, रायचूर	नील क्रांति के लिए PMMSY अनुदान	केन्द्रीय क्षेत्रक योजना-PMMSY	2.1
	कुल			**385.6**

<u>अनुबंध-II</u>

नाबार्ड और एनसीडीसी द्वारा बेलगावी जिला में निम्नलिखित कार्यक्रम/परियोजनाएं कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

1. नाबार्ड द्वारा विशेष पुनर्वित्तीयन सुविधा के तहत बेलगावी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में पैक्स को बहुसेवा सहकारी समिति (MSC) के रूप में परिवर्तित करने के लिए कुल 167 परियोजनाएं स्वीकृत किए गए हैं ।

2. एनसीडीसी ने बेलगावी जिले के छह अनुमंडल में निम्नलिख्ति किसान उत्पादक संघ (FPOs) पंजीकृत किया है:

   क) चिकोडी अनुमंडल – बसवाज्योति किसान उत्पादक संघ (FPO)

   ख) बेलगावी अनुमंडल– बेलगावी समग्र कृषि रायथा उत्पादकर सहकार संघ नियमित

   ग) गोकक अनुमंडल – श्री पांडुरंग कोऑपरेटिव किसान उत्पादक संघ, पंजनट्टी

   घ) हुक्केरी अनुमंडल – आरवकिरण किसान उत्पादक संघ (FPO), हुल्लोली

   ङ) खानपुर अनुमंडल – श्री महालक्ष्मी किसान उत्पादक संघ (FPO)

   च) रामदुर्ग अनुमंडल – अंजनेय कोऑपरेटिव किसान उत्पादक संघ (FPO), बागोजीकोप्पा

3. एनसीडीसी द्वारा बेलगावी राज्य में श्री जिजामाता महिला औद्योगिक सहकारी संघ नियमित को प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत कृषि प्रसंस्करण करने के लिए कुल 19.98 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

****